भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3017
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2020

छात्रवृत्ति योजनाएं

3017. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकरः
श्री दीपक बैजः
श्री के॰ नवासखनीः
श्री अनुभव मोहंतीः
श्री टी॰आर॰ बालूः
डॉ॰ मोहम्मद जावेदः
श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर मैट्रिक और प्री–मैट्रिक मेधा–सह–साधन और अन्य छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्रों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत धन आवंटन और व्यय का योजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि, जारी की गई वास्तविक धनराशि और इस संबंध में वर्ष–वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या अल्पसंख्यकों पर छात्रवृत्ति के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान सरकार का उक्त छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की संख्या और राशि बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): गत तीन वर्षों अर्थात 2016–17 से 2018–19 के दौरान मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति प्रदान किए गए छात्रों की राज्य–वार संख्या संलग्न है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों अर्थात 2016–17 से 2018–19 और चालू वर्ष के दौरान मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन आबंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(रु0 करोड़ में)

योजना	मैट्रिक–पूर्व		मैट्रिकोत्तर		मेरिट–सह–साधन	
वर्ष	आबंटित निधि	किया गया व्यय	आबंटित निधि	किया गया व्यय	आबंटित निधि	किया गया व्यय
2016-17	931.00	585.94	550.00	287.11	395.00	220.54
2017-18	1108.13	1108.13	561.29	479.72	393.54	388.79
2018-19	1269.00	1176.19	500.00	354.89	402.00	261.17
2019-20	1199.82	*738.73	482.66	*280.54	361.51	*212.48

***06.03.2020 के अनुसार अनंतिम आंकड़े। छात्रवृत्तियों का संवितरण 2019–20 में जारी है।**

(घ) वर्ष 2013–14 में एक स्वतंत्र एजेंसी–मैसर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। यह देखा गया कि मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना काफी हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक वंचित वर्गों तक पहुंच सकी है; इस योजना ने स्कूली शिक्षा के लिए उनकी मांग को बढ़ाया है; गरीब माता–पिता के वित्तीय बोझ को कम किया है; अधिकांश बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करते रहने में समर्थ बनाया है और उनके प्रदर्शन के स्तर में सुधार किया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी काफी हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक वंचित वर्गों तक पहुंच सकी है; इस योजना ने उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए उनकी मांग को बढ़ाया है; गरीब माता–पिता के वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम किया है; बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपने पाठ्यक्रम/उच्च शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाया है; उनके प्रदर्शन के स्तर में सुधार किया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के ये कथित प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक वंचित वर्गों तक पहुंचकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है; तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनकी मांग को बढ़ाया है; गरीब माता–पिता के वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम किया है; बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम बनाया है; उनके प्रदर्शन के स्तर में सुधार किया है। यह भी देखा गया है कि इन योजनाओं ने शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के दीर्घकालिक उद्देश्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ङ) अल्पसंख्यकों के लिए उपर्युक्त तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं 2019–20 से आगे जारी रखने का प्रस्ताव है। इसलिए सभी पहलुओं, जिनमें छात्रवृत्तियों की राशि और संख्या बढ़ाने अथवा अन्यथा परिवर्तन के मुद्दे भी शामिल है, पर इन योजनाओं को ऐसी अवधि के लिए अनुमोदित करने की प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाएगा।

******

''छात्रवृत्ति योजनाएं'' के बारे में श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर, श्री दीपक बैज, श्री के॰ नवासखनी, श्री अनुभव मोहंती, श्री टी॰आर॰ बालू, डॉ॰ मोहम्मद जावेद और श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.03.2020 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3017 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त/स्वीकृत छात्रवृत्तियों का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19*
		प्रदत्त छात्रवृत्ति	प्रदत्त छात्रवृत्ति	स्वीकृत छात्रवृत्ति
1	आंध्र प्रदेश	1950	2568	2599
2	तेलंगाना	2447	2908	2854
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	4309	4938	4437
5	बिहार	11357	11028	11144
6	छत्तीसगढ़	566	497	421
7	गोवा	114	0	76
8	गुजरात	4007	4012	3437
9	हरियाणा	1230	1112	821
10	हिमाचल प्रदेश	79	66	48
11	जम्मू और कश्मीर	5237	6103	5794
12	झारखंड	2246	2424	1264
13	कर्नाटक	12918	9779	15979
14	केरल	20908	19194	22038
15	मध्य प्रदेश	2804	2112	2154
16	महाराष्ट्र	5183	6379	4336
17	मणिपुर	375	296	364
18	मेघालय	1162	1209	1182
19	मिजोरम	254	398	543
20	नागालैंड	1267	1228	1186
21	ओडिशा	606	749	537
22	पंजाब	6981	5319	3273
23	राजस्थान	3988	3833	3555
24	सिक्किम	55	13	21
25	तमिलनाडु	5493	6063	5475
26	त्रिपुरा	162	167	125
27	उत्तर प्रदेश	12657	10530	9901
28	उत्तराखंड	652	574	526
29	पश्चिम बंगाल	12311	12393	13154
30	अंडमान और निकोबार	2	0	2
31	चंडीगढ़	25	11	8
32	दादरा और नगर हवेली	7	5	1
33	दमन और दीव	10	1	0
34	दिल्ली	518	484	459
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	57	59	57
कुल		**121937**	**116452**	**117771**

* 06.03.2020 के अनुसार अनंतिम आंकड़े। 2018–19 के लिए छात्रवृत्ति का संवितरण 2019–20 में जारी है।